

मध्यप्रदेश विधान सभा

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 200 .

प्रेषक:

.....
सदस्य, विधान सभा.

प्रेषिती :

सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.

विषय:—नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने हेतु सूचना.

महोदय,

मैं, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने की सूचना देता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि अध्यक्ष महोदय उसे सभा में उठाने की अनुज्ञा प्रदान करेंगे.

संक्षिप्त विषय

*संक्षिप्त व्याख्यात्मक टिप्पणी :—

भवदीय,

क्षेत्र क्रमांक

समर्थक (1)

सदस्य (2)

टीप:—आवश्यकतानुसार पृथक् पृष्ठ लगाया जा सकता है.